ग्राम पंचायत, सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़ ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-I1

1 प्रस्तावना (क):-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे;

प्रधान:-

क्रमांक	प्रधान का नाम नाम	कार्यकाल
1	श्रीमती कौशल्या देवी	23.01.2011 से 22.01.2016
2	श्री संजीव कुमार	23.01.2016 से निरन्तर

सचिव:-

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्रीमती अम्बिका चौहान	01.04.2014 से 27.03.2017 तक
2.	श्री सेवा राम	28.03.2017 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत, सेर जगास के लेखों का अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	पैरा नं	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	1.21
2	7(i) व (ii)	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.54
3	8	अनुदान का उपयोग न करना	25.91
4	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय	4.04
5	11	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	0.52
6	12(i)	निर्माण कार्यो के मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	34.23
7	12(ii)	तकनीकी प्राधिकारी के मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय, राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	0.50
8	13(i)	रोकड़ बही में दर्ज राशी से Online अधिक भुगतान	1.84
9	13(ii)	Online व्यय भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न करना	11.22

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 03.01.18 से 09.01.2018 को ग्राम पंचायत सेर जगास के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2014-15	04/2014	12/2014
2015-16	09/2015	05/2015
2016-17	06/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत सेर जगास, विकास खण्ड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जी.पी.(आडिट)/राजगढ़/ 2017-18-18 दिनांक 09.01.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, सेर जगास से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत सेर जगास द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i) स्व स्त्रोत:- ग्राम पंचायत सेर जगास के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	--------	49189.00	49189.00	16074.00	33115.00
2015-16	33115.00	40968.00	74083.00	8371.18	65711.82
2016-17	65711.82	86074.80	151786.62	31240.00	120546.62

नोट:- **(i)** सचिव ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है, जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए| जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

(वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत सेर जगास के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **{परिशिष्ट-2 व 2 ए}** मे भी दिया गया है।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्त शेष
2014-15	1849470.42	3243748.00	5093218.42	3196768.80	1896449.62
2015-16	1896449.62	3763166.00	5659615.62	4016814.00	1642801.62
2016-17	1642801.62	3259413.00	4902214.62	2311050.00	2591164.62

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/14 के प्राम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का दिनांक 01/04/14 का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को ₹1.21 लाख का अन्तर:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था। जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹1,20,987** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (`₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	120546.62	1
2.	अनुदान	2591164.62	2
3.	कुल शेष राशि	**2711711.24**	3
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	**2832698.24**	4
5.	**अन्तर**	**120987.00**	

6 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता:-

ग्राम पंचायत, सेर जगास को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से ज्ञात होता है की ग्राम पंचायत को स्वयं के स्त्रोत से बहुत ही कम आय प्राप्त हो रही है जिसका प्रमुख कारण पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर व अन्य करों की दरें ही

निर्धारित न करना है, क्योकि उक्त दरों के निर्धारण से सम्बंधित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए| यद्यपि, सचिव ग्राम पंचायत, सेर जगास द्वारा उनके पत्र क्रमांक:G.P.Ser Jagas/2017-18-04 दिनांक 09/01/2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न करों व शुल्कों की वसूली निम्नलिखित दरों से की गयी दर्शायी गई है;

नं	आय का साधन	दरें	विवरण
1	House Tax	25/-	2014-15
		25/-	2015-16
		25/-	2016-17
2	Land Revenue	as per Govt. rate 10	No Receipt since 04/2014
3	Marriage Registration fees	200/-{BPL 25/-}	3 Oct,2016 and thereafter Registration within 30 days Registration within 90 days
4	Certificate fee	400/-{BPL 50/-}10	-----------
5	Liquor cess	-------	As per govt. rates

अतः पंचायत निधि को प्राप्त होने वाली नियमित आय की वसूली दरों को निर्धारित न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में समय रहते इन दरों का नियमानुसार निर्धारण कर तदानुसार ही इन करों/शुल्कों की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.54 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बंधित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण को अवगत करवाने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत राजस्व ₹54375 वसूली हेतु शेष थी:-

(i) गृहकर

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर	कुल कर	प्राप्त राशि	शेष राशि
2014-15	405	25/-	10125/-	------	10125/-
2015-16	405	25/-	10125/-	------	10125/-
2016-17	405	25/-	10125/-	------	10125/-
	गृहकर की वसूली योग्य राशि			------	**30375/-**

(ii). मोबाइल टावर :-

Year/period	BSNL	Remarks
2008	4000/-	Installation Fees @ 4000/-
2009 to 2013	10000/-	Renewal Fees @2000/- per year
2014 to 2017	10000/-	Renewal Fees @2500/- per year
Total	**24000/-**	

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली अंकेक्षण अवधि के दौरान न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान की ₹25.91 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-2)** के अनुसार दिनांक 31/03/2017 तक अनुदानों से प्राप्त **₹25,91,164** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था ।अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

9 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.04 लाख के स्टोर/स्टॉक का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधिक है व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट–6 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹404222 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी को स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–6 में दिए गए विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था । अतः उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट–6 में दी गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए ।

11 जे.सी.बी चार्जीस का ₹0.52 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹52,500** का भुगतान निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जोकि उपरोक्त **पैरा संख्या:9** में वर्णित नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा तथा उक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न संविदाकार को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतीयां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित संविदाकारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतीयां की जानी अपेक्षित थी ।

(क) आयकर 2%

(ख) सेल्स टैक्स 3%

(ग) प्रतिभूति राशि 10%

(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे.सी.बी चार्जीस का ₹52,500 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल/दिनांक	घंटे	दर	कुल (₹)
		सामान्य निधि (L/R रतोली)			
1	अमन ठाकुर राजगढ़	33/ 27.10.16	75	700/-	52,500/-
				कुल अदायगी	**52,500/-**

12 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(i) निर्माण कार्यो पर व्यय ₹34.23 लाख के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संलग्न **{परिशिष्ट- 7}** पर दर्शाए गए निम्न वर्णित निर्माण कार्यों के तकनीकी मूल्यांकन से सम्बन्धित **प्राक्कलन अभिलेख, माप पुस्तिकाएं, मूल्यांकन शीट्स तथा उक्त कार्यो के पूर्ण होने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख** अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए, जिनकी अनुपस्थिति में किया गया व्यय भुगतान सही था अथवा नहीं इस बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। यदि उक्त कार्यों पर दर्शाया गया व्यय भुगतान/राशि का आहरण कार्यो के मूल्यांकन के बिना ही हुआ है तो यह अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त बारे यह स्पष्ट किया जाए कि सूची में दर्शाए गए अमुल्यंकित कार्यो में से कौन से कार्य पूर्ण हो चुके है, कौन से कार्य प्रगति पर है, कौन से कार्य कितने समय से अधूरे/बन्द पड़े है तथा उन पर दर्शाया गया व्यय/भुगतान सही है या नहीं| यदि व्यय भुगतान अनियमित पाया जाता है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए ।

अनुदान	भुगतान
13th FC व् 14th FC, TSC, SBM,	14,32,867/-

PMAGY	19,37427/-
MNREGA	52,427/-
Total:-	**34,22,721/-**

(ii) तकनीकी प्राधिकारी के मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री का क्रय कर ₹0.50 लाख का अधिक आहरण/भुगतान कर राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

निर्माण कार्यों की जाँच के दौरान पाया गया की निम्नलिखित निर्माण कार्यों में तकनीकी प्राधिकारी के प्राक्कलन/मूल्यांकन से अधिक निर्माण सामग्री की मात्रा की खरीद कर निम्नतालिकानुसार **₹50,461** का अधिक आहरण किया गया प्रतीत होता है, जिसकी विभागीय स्तर पर जांच करवाई यदि इस प्रकरण में अनियमितता पाई जाती है तो इस वसूली को उत्तरदायी से करने के साथ ऐसे अन्य प्रकरणों की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

PMAGY:-निर्माण P/W L/R कोटली से चुन्नी MB-317 पृष्ठ 36 से 39

निर्माण सामग्री का नाम	सामग्री की क्रय की गई मात्रा	सामग्री की मूल्यांकित मात्रा	अधिक क्रय की गई मात्रा	क्रय दर	राशि का अधिक आहरण/व्यय
सीमेंट	70 बोरी	31 बोरी	39	245.40	9570/-
रेत	8.08 cum	5.04 cum	3.04	2670/-	8117/-
बजरी	2.33 cum	1.12 cum	1.21	2893/-	3500/-
पत्थर	45.20 cum	43.73 cum	1.47	1106/-	1626/-
BRGF:- निर्माण चेक डैम धरला एव पशन खद			**MB-317 पृष्ठ 47 से 49**		
पत्थर	38.40 cum	25.40 cum	13	885/-	11505/-
बजरी	7.13	1.55	5.58	2893/-	16143/-
			राशि का कुल अधिक आहरण/भुगतान		**50,461/-**

(iii). निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित अधिकतर विकास कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित **प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र** इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिनकी अनुपस्थिति में उक्त निर्माण कार्यों पर व्यय किये गये लाखों रूपये के भुगतान की सम्बन्धित अभिलेख के साथ जाँच नहीं की जा सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट की जाए साथ ही उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 मनरेगा योजना के अंतर्गत व्यय की गई राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) रोकड़ बही में दर्ज राशी से ₹1.84 लाख का Online अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मनरेगा योजना के अंतर्गत **(Online Financial Statements)** के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों हेतु किये गए भुगतान की राशी बिल/वाउचर के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई व्यय की राशी से वितीय वर्ष **2014-15** में **₹1,84,489** अधिक है। उक्त **Online** भुगतान तथा रोकड़ बही में दर्ज व्यय की राशी में उपरोक्त अन्तर बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाये, यदि अन्तर की राशि अधिक भुगतान है तो उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर पंचायत निधि/सम्बन्धित कोष में जमा किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त अन्तर/अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है;

वर्ष	रोकड़ बही में दर्ज कुल व्यय	चेक द्वारा किया गया भुगतान	रोकड़ बही के अनुसार कुल ऑन लाइन भुगतान	फाइनेंसियल स्टेटमेंट के अनुसार कुल भुगतान	अन्तर अधिक भुगतान (₹)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) [2-3]**	**(5)**	**(6) [5-4]**
2014-15	519669	9258	510411	694900	**184489**

(ii) वितीय वर्ष 2015-16 व् 2016-17 में किये गए ₹11.22 लाख के ऑनलाइन व्यय भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज न करना:-

वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् व्यय की गयी राशी को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की गई **Online Financial Statements** (प्रति संलग्न) के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर उक्त अवधि के दौरान **₹11,22,131** का **Online** व्यय भुगतान किया गया है। उक्त प्राप्ति व् भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी। अतः उपरोक्त आय/व्यय को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा जोजना में अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए Online व्यय भुगतान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वितीय वर्ष	मजदूरी का भुगतान	सामग्री पर व्यय	कुल भुगतान
2015-16	401121/-	196080/-	597201/-
2016-17	466314/-	58616/-	524930/-
कुल योग	**867435/-**	**254696/-**	**11,22,131/-**

14 व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएं:-

(i). सीमेंट की खरीद HPSCS न करके ₹0.07 लाख का अधिक भुगतान:-

सीमेंट की खरीद HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं से करके **₹7,140** का अधिक भुगतान किया गया है जबकि उक्त खरीद से पूर्व पंचायत द्वारा HPSCS, Ltd से उक्त अवधि में सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा उक्त खरीद पर की गई अधिक अदायगी की

सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उक्त खरीद का ब्यौरा निमनानुसार है।

BRGF

नं	**विक्रेता का नाम**	**बिल संख्या व दिनांक**	**सीमेंट की मात्र**	**प्रति बैग दर (₹)**	**HPSCC की दरें (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
1	खेड़ा हार्डवेयर	223/ 26.05.15	40	350/-	245/-	4200/-
2	------do-----	219/ 26.05.15	28	350/-	245/-	2940/-
			कुल अधिक अदायगी			**₹7140/-**

(ii). मजदूरी की सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर से अदायगी कर ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान:-

अतिरिक्त राशि निर्माण पंचायत घर {BRGF} के कार्य में श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री पलकिया राम सेर जगास को बतौर मिस्त्री 7 दिनों की दिहाड़ी की अदायगी लागू दर ₹222 प्रतिदिन के स्थान पर ₹500 प्रतिदिन की दर से करके माह 05/2015 में **₹1946** का अधिक भुगतान किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाऐ।

(iii). व्यय बिलों/रसीदों पर क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा व् अन्य आवश्यक विवरण दर्ज न होना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा सामान्य निधि खाते से माह 03/2017 में निम्नतालिकानुसार दर्शाए गए ₹48,000 के भुगतान से सम्बन्धित बिल वाउचर पर क्रय की गई सामग्री, उसकी मात्रा तथा कार्य जिसके लिए क्रय की गई से सम्बन्धित विवरण दर्ज नहीं पाए गए। अतः उक्त ढंग से दर्शायी गई खरीद की जाँच विभागीय स्तर पर करवाई जाए ताकि दर्शाए गए व्यय भुगतान की वास्तविकता तथा औचित्य स्पष्ट हो सकै। उपरोक्त ढंग से किये गए व्यय के कुछ उदाहरण निम्न्तालिका में दर्शाए गए है:

अनुदान:-सामान्य निधि

ट्रांसपोर्टर:- भगवती ट्रांसपोर्ट, पबियाना

दिनांक	**बिल नं**	**GR पर दर्ज विवरण**	**दर**	**राशि**	**CBP**
28.02.14	GR-1701	4 truck @ 3	------	12000/-	
01.03.17	GR-1702	4 truck @ 3	------	12000/-	
02.03.17	GR-1703	4 truck @ 3	------	12000/-	
05.03.17	GR-1704	3 truck @ 3	------	12000/-	
				48000/-	

(iv). विक्रेता से टैक्स इनवॉइस/बिल प्राप्त न करके GR {Goods Receipt Note} पर दर्शायी गई ₹2.19 लाख की खरीद:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की विक्रेता से proper टैक्स इनवॉइस पर सामग्री की खरीद न करके उनके द्वारा जारी GR नोट पर पारित करके लाखों रु, की राशि का व्यय भुगतान/आहरण किया गया/जा रहा है जोकि अंकेक्षण अवधि तक भी जारी है। अतः विक्रेता से उक्त भुगतान से सम्बन्धित **proper Tax Invoice/Bill** व् उन्हें भुगतान की गई राशि से

सम्बन्धित प्राप्तकर्ता रसीद नियमानुसार प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए क्योकि **Goods Receipts Note {GR}** पर दर्शायी गई खरीद अनियमित व् संदिग्ध प्रतीत होती है। उपरोक्त खरीद से सम्बन्धित कुछ मदों/GR का ब्यौरा संलग्न {**परिशिष्ट- 8**} पर दिया गया है।

15 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

16 रसीद बुकों के उपयोग से सम्बन्धित अनियमितता बारे:-

(क) रसीद बुक नं 1819 के रसीद संख्या 86 से 100 तक माह 09/2014 में वसूली गई **₹900** रोकड़ बही में दर्ज नहीं पाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त राशि को रोकड़ बही में दर्ज करके तुरन्त निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा रसीदों से सम्बन्धित **रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर** का संधारण नहीं किया गया है जिससे ग्राम पंचायत को जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त/ तथा उसके नियमित उपयोग तथा स्टॉक में शेष बची रसीद बुक्स का सही-सही पता नहीं लगाया जा सका। अतः उक्त अभिलेख को नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) रसीद बुक्स की पड़ताल के दौरान पाया गया की रसीद बुक्स पर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (4) व (5) के अनुसार पंचायत सचिव तथा प्रधान द्वारा रसीद बुकों पर गणना से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया था तथा अधिकतर रसीदें बिना तिथि तथा जारीकर्ता के हस्ताक्षर के पाई गई, उन पर की गई कटटिंग्स तथा रद्द करने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी नहीं किया जा रहा है।

17 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया जा रहा है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार उक्त अभिलेख का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर

4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर
5. अग्रिमों का रजिस्टर
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर
7. प्राक्कलन,तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर
9. स्टेशनरी रजिस्टर
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर
12. इन्वेंटरी रजिस्टर

18 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही है, जिस बारे स्तिथि स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

19 लघु आपत्ति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई ।

20 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)25/2018 खण्ड–1–4503–4506 दिनांक 22.06.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत सेर जगास विकास खण्ड राजगढ़ जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ़, जिला सिरमौर हि0प्र0।

हस्ता/–
(राम सिंह चौहान)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046